संख्या-18/2022/1034/12-3-2022-100(60)/2013**टी.सी**.-V**।**

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि **निदेशक,**
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ: दिनांक: **20** सितम्बर**, 2022**

विषय- **आवर्षण कमजोर मानसून की स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजनान्तर्गत अल्पकालीन सरसों एवं सामान्य सरसो तथा रागी के नि शुल्क बीज मिनीकिट वितरण किये जाने हेतु कार्ययोजना के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ति0-472/सरसो तथा रागी बीज मिनी0/2020-23, दिनांक 10.9.2022 एवं पत्रांक-ति0-473/सरसो तथा रागी बीज मिनी0/2020-23, दिनांक 10.9.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त आवर्षण/कमजोर मानसून की स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजनान्तर्गत अल्पकालीन सरसों एवं सामान्य सरसों तथा रागी के नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण किये जाने हेतु कार्ययोजना पर एतद्द्वारा निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. <u>योजना का उद्देश्य</u>:-

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए तिलहनी फसलों के प्रोत्साहन हेतु राज्य पोषित प्रमाणित बीजों के वितरण पर पर अनुदान की योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में आवर्षण/कमजोर मानसून की स्थिति में खरीफ 2022 के अवशेष आच्छादन की पूर्ति कराने तथा प्रदेश में अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी के अधिक उत्पादन देने वाली प्रमाणित बीजों के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण से अधिकाधिक आच्छादन कर उत्पादन एंव उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु 100 प्रतिशत राज्य सहायता के आधार पर 02 कि0ग्रा0 प्रति पैकेट अल्पकालीन सरसो/सामान्य सरसों तथा रागी के बीज मिनीकिट का कृषकों में निःशुल्क वितरण कराया जाना है।

2. <u>बीज मिनीकिट वितरण का प्रकार</u>:-

तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु आवश्यक निवेशों में उच्च उत्पादन वाले प्रमाणित/आधारीय बीज मुख्य कृषि निवेश है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग के निर्धारित राजकीय कृषि बीज भण्डारों से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

2.00 कि0ग्रा0 प्रति पैकेट के रूप में कृषको को अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी के वितरित किये जाने वाले बीज प्रदेश सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राज्य पोषित होने के कारण डी0बी0टी0 प्रक्रिया से मुक्त होगा। अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी के निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाये तथा इसमें ग्राम पंचायतों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों का भी पूर्ण सहयोग लिया जाये। विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी के बीज मिनीकिट का वितरण मा0 जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जायेगा। सभी जिला कृषि अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी निःशुल्क मिनीकिट कृषकों को दिये जा रहे हैं उसकी बुवाई सुनिश्चित कराते हुए उसका भौतिक सत्यापन किया जाये जिससे अतिरिक्त रूप से सरसों एवं रागी के क्षेत्र आच्छादन में वृद्धि प्रदर्शित हो सके।

3. <u>पात्र कृषकों के चयन की प्रक्रिया तथा देय सुविधा:-</u>

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित जनपदों में 75 प्रतिशत अन्य जाति के कृषकों को तथा 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के पंजीकृत कृषकों को ही दिया जायेगा और प्रतिबन्ध यह रहेगा कि चयनित कृषकों को 2 कि0ग्रा0 प्रति पैकेट के रूप में अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी बीज मिनीकिट, जिसमें फसल उत्पादन प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी भी सम्मिलित हो। यह प्रयास किया जायेगा कि चयनित कृषकों में महिला कृषकों की 30 प्रतिशत भागीदारी रहे। खरीफ 2022 की बुवाई से वंचित कृषकों में अवशेष आच्छादन के लक्ष्यों के अनुरुप बीज वितरण कराया जायेगा। कृषकों का चयन करते समय पूर्व में जो कृषक/क्षेत्र राजकीय सहायता से वंचित रहे हों उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त अवसर दिया जायेगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को ''प्रथम आवक-प्रथम पावक'' के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रत्येक कृषक को 02 किग्रा0 (एक पैकेट) निःशुल्क अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी बीज मिनीकिट का वितरण किया जायेगा। जिस क्षेत्र में रागी/म़डुवा की खेती होती है वहां पर रागी के मिनीकिट का वितरण किया जायेगा ।

4. <u>योजना के सम्भावित लाभ:-</u>

योजना के क्रियान्वयन से लगभग 1,80,000 मी0 टन अतिरिक्त अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा 6000 मी0 टन रागी का उत्पादन प्राप्त होगा तथा लाभार्थी कृषकों को औसतन रू0 10000 प्रति हे0 का लाभ प्राप्त होगा।

5. <u>वित्तीय उपाशय:-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष कार्यक्रम अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी के प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु वित्तीय उपाशय निम्नवत हैः-

विवरण	बीज मीनिकीट लक्ष्य		राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान की अनुमानित धनराशि (लाख रू0 में)
	(कु0)	(संख्या में)	
अल्पकालीन सरसो/सामान्य सरसो प्रमाणित बीज वितरण	6000	3,00,000	810.00
रागी प्रमाणित बीज वितरण	600	30,000	57.00
योग	6600	330000	867.00

6- धनराशि की व्यवस्थाः-

अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी विशेष कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान वर्ष 2022-23 योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान-27-सब्सिडी से किया जायेगा। उक्त पर होने वाला व्यय प्रमाणित बीजो पर अनुदान की योजना (शत-प्रतिशत राज्य सहायतित) के अन्तर्गत अल्पकालीन सरसों/सामान्य सरसों तथा रागी के विशेष कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजनान्तर्गत प्रावधानित बजट की सीमा में रहेगा।

8- उपरोक्त योजना में किसी प्रकार के संशोधन हेतु तथा कमजोर मानसून के दृष्टिगत कृषकों के हित में बीज प्रमाणीकरण योजनान्तर्गत यथावश्यक अन्य किस्मों के बीज आदि के वितरण/निशुल्क वितरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

सं0- 18/2022/1034(1)/12-3-2022-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त/राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**रवीन्द्र प्रताप सिंह**)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है